

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 06.10.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कंचन लाल पुत्र इतवारी नि० पिपरा सूर्यमन थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 253 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. हरिभान सिंह पुत्र स्व० रामदत्त नि० ग्राम बंधवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 300 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू सोनकर पुत्र धर्मराज सोनकर उर्फ टेड़ी नि० पण्डितपुरवा मौजा रायपुर ब्रह्मचारी थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 354 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना को०देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेश सोनकर पुत्र दूधराम नि० काजीतरहर थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 422 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

मारपीट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त- जगदम्बा प्रसाद पुत्र मिडूलाल नि० असिधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 196 / 20, धारा 323.504.506.452.336 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने जमीनी विवाद के चलते वादी बैजनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व० राम सुहावन नि० असिधा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के घर में घुसकर गाली- गुप्ता देते हुए मारा- पीटा तथा जान से मारने की धमकी दिया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें खरगूपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना परसपुर का हिस्ट्रीशीटर अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजकुमार गोड़िया पुत्र रामदीन गोड़िया नि० ग्राम धनावा थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०- 293 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 312 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 312 बोर ।

अपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं०- 314 / 06, धारा 379.411 भादवि० थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

02. मु०अ०सं०- 77 / 17, धारा 457.380.411 भादवि० थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

03. मु०अ०सं०- 286 / 08, धारा 376 भादवि० थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

04. मु०अ०सं०- 321 / 08, धारा 411.413.419.420.467.468.471 भादवि० थाना नवाबंगज जनपद गोण्डा ।

05. मु०अ०सं०- 672 / 18, धारा 379.411 भादवि० थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।

06. मु०अ०सं०- 688 / 18, धारा 379.411 भादवि० थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।

07. मु०अ०सं०- 739 / 19, धारा 379.411.419.420.467.468.471. भादवि० थाना को०नगर जनपद गोण्डा ।

08. मु०अ०सं०- 156 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 06.10.2020 को थाना परसपुर के उ०नि० सतगुरु मिश्रा मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को वनसन्ती तिराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 312 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । उक्त अभियुक्त थाना परसपुर के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों में से एक है । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ०नि० सतगुरु मिश्रा ।

02. हे०का० रविन्द्रनाथ सिंह ।

03. का० सुरेश सिंह ।

04. का० चंदन यादव ।

05. का० चन्द्र प्रकाश ।